## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- माताजी की गली, कृष्णगंज, तह. व जिला- सिरोही (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स अरुण कुमार कैलाशचन्द अग्रवाल, मेघवालों की गली, कृष्णगंज, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

2. अरविन्द कुमार अग्रवाल, पटेल गली, स्वरुपगंज, तहसील-पिण्ड़वाडा, जिला-सिरोही (मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता)

फर्मः- S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi

**प्रकरण संख्याः 30/2016**

**''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''**

**उपस्थितिः** अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 13 अगस्त, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.11.2015 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म अरुण कुमार कैलाश चन्द अग्रवाल, मेघवालों की गली, कृष्णगंज, जिला- सिरोही पर निरीक्षण हेतु पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- माताजी की गली, कृष्णगंज, जिला- सिरोही है एवं मैसर्स अरुण कुमार कैलाश चन्द पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान में सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के 20 पैक्ड टिन कन्टेनर (पीपे) (प्रत्येक 15 किलोग्राम) गोदाम के फर्श पर रखे हुये थे, जिसमें से सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के एक पैक्ड टिन को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रुप किया व टिन का ढ़क्कन खोला तथा इस एक रुप किये हुये सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) में से 1600 ग्राम सरसो तेल

.....पेज दो पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

को एक साफ सूखे एवं खाली भिगोने में लिया एवं उसकी कीमत 150/- रुपये अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाई, खरीद शुदा सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) को चार शीशीयों में बराबर-बराबर भरा व शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-507 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 26.11.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 26.11.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना S-507 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को

....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जिला ... सिरोही (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 13.8.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 की दुकान से खाद्य पदार्थ सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का जो नमूना लिया गया था, वह पैक्ड प्रोडक्ट था जो अभियुक्त संख्या-1 ने अभियुक्त संख्या-2 की फर्म से क्रय किया था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना लेने की प्रक्रिया विधि अनुसार नही अपनाई है व नमूने का टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के नमूने की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को नही भेजी है तथा न ही दुबारा जांच हेतु सूचित किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) का उल्लंघन है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि लेबल पर प्रिंटीग की गलती से नमूने का लेबल मिथ्या छाप पाया गया है। सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना स्वास्थ्य के लिये हानिकाकर नही था एवं न ही अमानक स्तर का पाया गया है। प्रतिवादी संख्या-1 को उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के लेबल से कोई लेना देना नही है एवं लेबलिंग की गलती हेतु निर्माता फर्म दोषी है। प्रतिवादी संख्या-1 नें प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म से सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के पैक्ड कनेंटर टिन क्रय किये है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत दोषमुक्त किया जावे। साथ ही, यदि प्रतिवादीगण का जुर्माने योग्य अपराध पाया जाता है तो निर्माता फर्म प्रतिवादीगण की ओर से जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है, इसलिये उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर

.....पेज चार प्रर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सिरोही (राज०)

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.11.2015 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स अरुण कुमार कैलाशचन्द अग्रवाल, मेघवालों की गली, कृष्णगंज, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स अरुण कुमार कैलाश चन्द अग्रवाल में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- कृष्णगंज उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स अरुण कुमार कैलाशचन्द अग्रवाल के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल को को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी। उक्त दुकान में सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के 20 पैक्ड टिन कंटेनर (पीपे) (प्रत्येक 15 किलोकग्राम) गोदाम के फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुये थे, जिसमें से सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के एक पैक्ड टिन को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हिला मिलाकर कर एक रुप कर टिन का ढ़क्कन खोला एवं इस एक रुप किये हुये सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) में से 1600 ग्राम सरसों तेल को एक साफ सूखे एवं खाली भिगोने में लिया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 150/- (अक्षरे रुपये एक सौ पचास मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाकर खरीद शुदा सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) को चारों शीशीयों में बराबर-बराबर भरा एवं शीशीयों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-507, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-507 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर

....पेज पांच पर

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय मुख्य न्या० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता अरुण कुमार अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहंत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 26.11.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा तथा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का लेबल विश्लेषण/जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 26.11.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-507 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1014/Act/2015/1015 दिनांक 21.12.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अरुण कुमार कैलाश चन्द अग्रवाल, कृष्णगंज पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता अरुण कुमार अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के लेबल पर बैच नम्बर एवं निर्माण/पैकिंग तिथि अंकित नही की गई है। (Contravention of Regulation No. 2.2.2(8) and 2.2.2(9) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता अरुण कुमार अग्रवाल को तथा प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म

.....पेज छ: पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Sheoganj, Dist. Sirohi को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:संस्था/एफएसएसए/2015/7823-25 दिनांक 29.12.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी अरुण कुमार अग्रवाल की फर्म अरुण कुमार कैलाशचन्द अग्रवाल ने उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) के पैक्ड टीन कंटेनरों को बिल नम्बर 39 दिनांक 03.7.2015 के द्वारा निर्माता फर्म S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi से क्रय किया गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है व प्रतिवादी अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ सरसों तेल (आस्था दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय किया गया है। चूंकि प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से बहस में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से जुर्माना राशि अदा करने हेतु निर्माता फर्म तैयार है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi पर संयुक्त रुप से राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi के प्रोपराईटर अरविन्द कुमार अग्रवाल, निवासी- पटेल गली, स्वरुपगंज, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म S.K. Industries, F-115, 116 RIICO Industrial Area, Kesarpura, Sheoganj, Dist. Sirohi पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही